74 coL

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांक प0 6(4)सांप्र/5/02 जयपुर, दिनांक 6-8-13

प्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) समस्त विश्राम भवन, राजस्थान ।

प्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/रा0स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी नईदिल्ली।
प्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) ट्रांजिट होस्टल, जयपुर ।

विषय– न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में पैरवी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में ओआईसी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से मिल कर पैरवी सुनिश्चित किये जाने हेतु विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 12.2.13 एवं 30.4.13 सलग्न प्रेषित कर लेख है कि परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की पालना प्रभारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावे।

सलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

मु. शर्मा 6/8/13

(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजकीय वादकरण सचिवालय जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 12 (15) राज/वाद/08 पार्ट दिनांक 12.2.13 एवं 12 (3) राज/वाद/12 पार्ट दिनांक 30.4.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

मु. शर्मा
सहायक शासन सचिव 6/8/13

Room no.124 MainBuilding,secretariat,jaipur-302005
Tel.No.(jt.secy)-0141-222787/9414049554,(AS)9414043554(Fax)-5116626,2227928
Website :www.gad.rajasthan.gov.in,Email-gadsec111@rediffmail.com

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

110722
दिनांक 3-5-13

क्रमांक प0 12(3)राज/वाद/12,पार्ट
समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव।

जयपुर दिनांक: 30-4-13

:: परिपत्र ::

विषयः– न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के संबंध में।

सन्दर्भः– इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 12.02.13

इस विभाग द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित परिपत्र में सभी प्रशासनिक विभागों के अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण को निर्देशित किया गया था कि वे अपने अधीनस्थ विभाग में प्रभारी अधिकारी (ओ.आई.सी.) को निर्देशित करें कि यदि विभाग में अधिक संख्या में न्यायालय प्रकरण सुनवाई हेतु लम्बित है, अथवा विभाग द्वारा अपने अधिकारी को पूर्णकालिक रूप से न्यायालय के प्रकरणों की पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु नियुक्त किया हुआ है, परन्तु उनके द्वारा माननीय महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क नहीं करने के कारण समुचित पैरवी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस संबंध में प्रशासनिक विभाग अपने प्रभारी अधिकारी (ओ.आई.सी.) को निर्देशित करें कि वे निरन्तर उच्च न्यायालय में नियुक्त प्रशासक वादकरण से सम्पर्क बनाये रखे तथा सप्ताह में एक बार अपने विभाग की प्रगति से प्रशासक वादकरण को व्यक्तिशः उपस्थित होकर अवगत करावें।

माननीय महाधिवक्ता महोदय द्वारा अवगत कराया है कि विधि विभाग के उपरोक्त परिपत्र में उल्लेखित निर्देशों की पालना प्रशासनिक विभागों द्वारा नहीं की जा रही है। जिसके अभाव में उपयुक्त समन्वय नहीं हो पा रहा है। अतः सभी प्रशासनिक विभागों को पुनः इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.02.13 की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पंकज भण्डारी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 85 दिनांक 01.04.13 के क्रम में।
2. प्रशासक वादकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. उप सचिव, वादकरण, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

(पंकज भण्डारी) 30/4
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प0 12(3)राज/वाद/12 पार्ट जयपुर, दिनांक: 12-2-13

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव ।

परिपत्र

विषयः— न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्व लम्बित प्रकरणों में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।

सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ विभाग में प्रभारी अधिकारी (OIC) को निर्देशित करें कि यदि विभाग में अधिक संख्या में न्यायालय प्रकरण सुनवाई हेतु लम्बित है, अथवा विभाग द्वारा अपने अधिकारी को पूर्ण कालिक रूप से न्यायालय के प्रकरणों की पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु नियुक्त किया हुआ है, परन्तु उनके द्वारा महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क नहीं रखने के कारण समुचित पैरवी की व्यवस्था नही हो पाती है। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग अपने–अपने प्रभारी अधिकारी (ओ.आई.सी.) को निर्देशित करें कि वे निरन्तर उच्च न्यायालय में प्रशासक वादकरण से सम्पर्क बनाए रखे तथा सप्ताह में एक बार अपने विभाग की प्रगति से प्रशासक वादकरण को व्यक्तिशः उपस्थित होकर अवगत करायें ।

प्रायः यह पाया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को निस्तारित करते हुए प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादीगण याचिकार्थी के अभ्यावेदन पर विचार कर अभ्यावेदन को नियत समय में निस्तारित करें परन्तु विभागों के सक्षम अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों को नियत समय में निस्तारित नहीं किया जाता है तथा सरसरी तौर पर निस्तारित कर दिया जाता है जिसकी वजह से याचिकार्थी राज्य सरकार के अधिकारियों के विरूद्व अवमानना याचिकाएं दायर कर देते है । ऐसे प्रकरणों का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में करें । जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हो, उसे अधिकतम एक माह में निस्तारित करें । अभ्यावेदन को निस्तारित करते समय यह ध्यान में रखा जावे कि निस्तारण आदेश सरसरी तौर पर न होकर सैल्फ स्पीकिंग होना चाहिए। सभी प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि परिपत्र की पालना सुनिश्चत करें ।

राज्यपाल के आज्ञा से,

ह0
(पंकज भंडारी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है::

1. महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 148 दिनांक 6.02.2013 के क्रम में ।
2. प्रशासक वादकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव।
4. रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव, विधि